झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक रिट याचिका सं० - 98/2020

मो. मारुफ, पिता - मो. उस्मान, उम्र- 40 वर्ष, निवासी, ग्राम+डाकघर - सातनपुर, थाना - उजियारपुर, जिला - समस्तीपुर, बिहार ..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, दुमका, डाकघर+थाना - दुमका, जिला- दुमका
3. पुलिस अधीक्षक, दुमका, डाकघर+थाना - दुमका, जिला- दुमका
4. प्रभारी अधिकारी, हंसडीहा पुलिस स्टेशन, डाकघर+थाना - दुमका, जिला- दुमका

..... **प्रतिवादी**

याचिकाकर्ता के लिए : श्रीमान. सुधांशु शेखर चौधरी, अधिवक्ता
: श्री अमन शेखर, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए : श्री मनोज कुमार, जी.ए III

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें जब्ती कार्यवाही में इस रिट याचिका के प्रतिवादी संख्या 2, दुमका के उपायुक्त द्वारा पारित आदेश संख्या 108/2019 दिनांक 27.11.2019 को रद्द करने/रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता के टाटा ट्रक, जिसका पंजीकरण संख्या BR-06-GB/2630 है, को केवल प्रतिवादी संख्या 3, जो पुलिस अधीक्षक, दुमका है, द्वारा दी गई अनुशंसा के आधार पर जब्त कर लिया है, बिना सक्षम न्यायालय द्वारा यह पाए जाने के कि उक्त ट्रक का उपयोग झारखंड गोजातीय पशु वध निषेध अधिनियम के

प्रावधानों के उल्लंघन में मवेशियों/गोमांस के परिवहन में किया गया था। इस रिट याचिका में हंसडीहा थाना कांड संख्या 69/2018 के संबंध में विद्वान एसडीजेएम, दुमका द्वारा पारित दिनांक 18.12.2019 के आदेश को निरस्त करने की भी प्रार्थना की गई है, जो जी.आर. संख्या 794/2018 से संबंधित है, जिसके द्वारा वाहन को छोड़ने की प्रार्थना को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आई.ओ. ने उक्त जब्त वाहन के संबंध में जब्ती की कार्यवाही के लिए उपायुक्त को अनुरोध पत्र अग्रेषित किया है और उक्त ट्रक को छोड़ने के निर्देश के लिए भी आगे प्रार्थना की गई है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि हंसडीहा थाना कांड संख्या 69/2018 में जी.आर. संख्या 794/2018 के अनुरूप आरोप लगाया गया है कि उक्त ट्रक भागलपुर से बंगाल 10 टन वजनी गोवंशीय मांस ले जा रहा था। पुलिस ने उक्त ट्रक को जब्त कर लिया। मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन सुनवाई के दौरान यह पता नहीं चल पाया कि वाहन का उपयोग उक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में गोवंशीय पशु के परिवहन में किया गया था, इसलिए उपायुक्त ने उक्त वाहन को जब्त कर लिया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायालय का ध्यान इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा **मो. रेयाजुद्दीन बनाम झारखंड राज्य आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 91/2014** के मामले में पारित दिनांक 20.06.2014 के निर्णय की ओर आकर्षित किया है, जिसका प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

> "xxxxxझारखंड गोजातीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम 2005) के प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कुछ अधिनियमों जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और वन अधिनियम की धारा 52 के तहत वाहन या माल जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। बेशक, उपर्युक्त अधिनियम धारा 12(3) के तहत वाहन जब्त करने का प्रावधान करता है, जो इस प्रकार है:-
>
> > "जब भी कोई वाहन इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए मवेशियों या गोमांस के परिवहन में इस्तेमाल किया गया पाया जाता है, तो वाहन राज्य सरकार को जब्त कर लिया जाएगा।"

> प्रावधान को सरलता से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि प्रयुक्त शब्द "जब भी कोई वाहन पाया जाता है कि उसका उपयोग किया गया है....." धारा में प्रयुक्त शब्द का शाब्दिक अर्थ यह है कि यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि वाहन का उपयोग अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन में मवेशियों या गोमांस के परिवहन में किया गया था। ऐसा निष्कर्ष केवल तभी निकाला जा सकता है जब जांच या परीक्षण के दौरान साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाए जाएं, जिसका अर्थ है कि आरोपों/अभिकथनों को साबित करना होगा कि वाहन का उपयोग अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन में किया गया था, जिसके बाद वाहन राज्य सरकार को जब्त कर लिया जाएगा। यह विवादित नहीं है कि तत्काल मामले में जब्ती के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और न ही अधिनियम में जब्ती कार्यवाही शुरू करने का प्रावधान है और वाहन बिना किसी उपयोग के पुलिस स्टेशन में बिना देखभाल के पड़ा हुआ है।xxxxxx" (जोर दिया गया)

और प्रस्तुत किया कि किसी भी न्यायालय का कोई निष्कर्ष नहीं है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि हंसडीहा पी.एस. केस संख्या 69/2018 के संबंध में विद्वान उपायुक्त, दुमका द्वारा पारित आदेश संख्या 108/2019 दिनांक 27.11.2019 और जी.आर. संख्या 794/2018 के अनुरूप विद्वान एसडीजेएम, दुमका द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2019 को रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

5. दूसरी ओर, विद्वान जी.ए. तृतीय ने हंसडीहा थाना कांड संख्या 69/2018 के संबंध में उपायुक्त, दुमका द्वारा पारित आदेश संख्या 108/2019 दिनांक 27.11.2019 तथा जी.आर. संख्या 794/2018 के अनुरूप विद्वान एस.डी.जे.एम., दुमका द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2019 को निरस्त करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है तथा प्रस्तुत किया है कि चूंकि विचाराधीन ट्रक को दस टन गोवंशीय मांस से लदे पाए जाने के परिणामस्वरूप जब्त किया गया था, इसलिए झारखंड गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम, 2005 की धारा 12 (3) के तहत शक्ति के तहत प्रश्नगत वाहन को जब्त करने के लिए यह पर्याप्त है, इसलिए इस रिट याचिकाकर्ता को बिना किसी योग्यता के खारिज किया जाना चाहिए।

6. बार में प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों को सुनने और अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने **मो. रेयाजुद्दीन बनाम झारखंड राज्य (सुप्रा)** के मामले में किसी भी

अनिश्चित तरीके से यह माना है कि झारखंड गोजातीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम, 2005 की धारा 12 (3) में पाया गया शब्द यह दर्शाता है कि वाहन को जब्त करने की पूर्व शर्त यह है कि यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि जब्त किया जाने वाला वाहन उक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में मवेशियों या गोमांस के परिवहन में इस्तेमाल किया गया था, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि सक्षम न्यायालय द्वारा निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

7. यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि इस तरह का निष्कर्ष केवल मुकदमे के समापन के बाद ही निकाला जा सकता है। अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, निर्विवाद रूप से, मुकदमा अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि प्रश्नगत वाहन का उपयोग उक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में मवेशियों या गोमांस के परिवहन में किया गया था; लेकिन फिर भी, उपायुक्त ने उक्त वाहन को जब्त कर लिया है। इस प्रकार यह न्यायालय इस विचार पर है कि विद्वान उपायुक्त, दुमका द्वारा पारित आदेश संख्या 108/2019 दिनांक 27.11.2019, जिसकी प्रति इस रिट याचिका के अनुलग्नक 3 में रखी गई है, कानून में टिकने योग्य नहीं है, तदनुसार इसे रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है।

8. जहां तक हंसडीहा थाना कांड संख्या 69/2018 के संबंध में जी.आर. संख्या 794/2018 से संबंधित विद्वान एसडीजेएम, दुमका द्वारा पारित दिनांक 18.12.2019 के आदेश का संबंध है, उक्त आदेश द्वारा विद्वान एसडीजेएम, दुमका ने वाहन को छोड़ने की प्रार्थना को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि आई.ओ. ने उक्त वाहन के संबंध में जब्ती की कार्यवाही शुरू करने के लिए उपायुक्त को अनुरोध पत्र भेज दिया है और चूंकि इस अदालत ने पहले ही उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके द्वारा सफेद और मैरून रंग के जब्त टाटा ट्रक, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर-06-जीबी/2630 है, को जब्त किया गया था, इसलिए, यह अदालत इस विचार पर है कि हंसडीहा थाना कांड संख्या के संबंध में विद्वान एसडीजेएम, दुमका द्वारा पारित दिनांक 18.12.2019 का आदेश 2018 के जी.आर. संख्या 794 के अनुरूप 2018 के 69 भी कानून में टिकने योग्य नहीं है। तदनुसार, इसे भी रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है।

9. विद्वान एसडीजेएम, दुमका को याचिकाकर्ता द्वारा उक्त वाहन को मुक्त करने के लिए दायर याचिका दिनांक 09.05.2019 के संबंध में कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

10. इस रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक, 2 जनवरी, 2024
स्मिता/एएफआर

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।